

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में मरोरा-बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई—8.125 किमी०) के निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०,सिंचाई खण्ड-2, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि—3.5525 है० तथा सिविल सोयम भूमि —0.574 है० कुल 4.1265 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार निर्धारित ईको क्लास V के अन्तर्गत आता है।"

वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार कुण्ड कक्ष सं० 3 व 4ए का औसत घनत्व 0.4 है। अपितु प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित स्थल (आरक्षित वन एवं सिविल सोयम भूमि में कुल 103 वृक्ष अवस्थित होने के फलस्वरूप प्रस्तावित / चयनित कार्यस्थल का घनत्व 0.2 आंका गया है, जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 6,57,000.00 (रू० छः लाख सत्तावन हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत) एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 27,11,111.00 (रू० सताईस लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी